अध्याय 7

कोयला वितरण एवं विपणन

वार्षिक रिपोर्ट 2017–18

कोयला वितरण एवं विपणन

कोयला वितरण एवं विपणन

विद्युत,सीमेंट तथा इस्पात संयंत्रों को कोयले का आबंटन

पहले इस्पात संयंत्रों को कोकिंग कोल का आबंटन कोयला नियंत्रक द्वारा किया जाता था। तथापि कोकिंग कोल को नियंत्रण मुक्त करने के बाद कोकिंग कोल की आपूर्ति भी कोयला कंपनियों द्वारा शुरूआती लिंकेज समिति (दीर्घकालिक) (एसएलसी (एलटी)) द्वारा स्थापित लिंकेज के आधार पर अथवा उनकी मौजूदा प्रतिबद्धताओं के आधार पर की जाती है। अप्रैल,17–दिसंबर, 2017 के दौरान सीआईएल ने विभिन्न क्षेत्रों को कोयले की निम्नलिखित मात्रा की आपूर्ति की है:–

कोल इंडिया लिमिटेड

(अनंतिम) (आंकड़े मिलियन टन)

क्षेत्र	एएपीलक्षित उठान	वास्तविक उठान	लक्ष्य की तुलना में आपूर्ति का %
इस्पात*	5.96	4.11	69%
विद्युत (उपयोगिताएं)**	325.35	331.44	102%
कैप्टिव पावर***	36.32	29.02	80%
सीमेंट	5.11	2.95	58%
स्पांज आयरन	7.12	5.52	78%
अन्य	52.07	48.17	93%
कुल प्रेषण	431.93	421.22	98%
कोलियरी खपत	0.17	0.19	109%
कुल	432.11	421.41	98%

* : इसमें वाशरियों को दिया गया कोकिंग कोल, तथा इस्पात संयंत्रों को की गई प्रत्यक्ष तथा मिश्रित आपूर्ति शामिल है।

** : इसमें परिष्करण तथा विद्युत को विशेष फारवार्ड ई–नीलामी के लिए वाशरी और बीना डिशेलिंग संयंत्र को फीड करने के लिए कोकिंग तथा नानकोकिंग कोयला शामिल हैं।

***: कैप्टिव पावर में उर्वरक क्षेत्र को प्रेषण शामिल है। (अप्रैल–दिसंबर 2015 की अवधि के लिए)

एससीसीएल से क्षेत्रवार कोयला उठानः

वर्ष 2017–18 (अप्रैल से दिस.17) के दौरान एससीसीएल से क्षेत्रवार कोयला उठान तथा शेष अवधि (जनवरी,18 से मार्च 2018 तक) के दौरान अनुमानित कोयला उठान का ब्यौरा इस प्रकार हैः

कोयला का क्षेत्रवार उठानः

(मिलियन टन)

क्षेत्र	अप्रैल से दिस,17	अप्रैल से दिस,16	(%) वृद्धि	जन. से मार्च, 2018 (अनुमानित)	2017–18 (अनुमानित)
विद्युत (संयत्र)	38.89	36.46	6.68	14.99	53.88
विद्युत (सीपीपी)	2.03	1.25	61.95	0.75	2.78
स्टील (एसआई)	0.160	0.06	183.93	0.15	0.31
सीमेंट	1.87	1.48	26.15	0.70	2.57
अन्य	3.91	3.45	13.44	1.54	5.46
कुलः एसीसीएल	**46.86**	42.70	9.75	**18.14**	**65.00**

विद्युत गृह

अप्रैल,17– दिसम्बर, 2017 के दौरान विद्युत क्षेत्र द्वारा एएपी की तुलना में सीआईएल से कोयले का उठान 331.44 मिलियन टन था जो कि लक्ष्य के 102% की प्राप्ति थी। गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उठान में 23.2 मिलियन टन अर्थात 7.5% की वृद्धि हुई।

सीमेंट संयंत्र

अप्रैल,17–दिसम्बर,17 के दौरान सीआईएल से सीमेंट संयंत्रों को प्रेषण पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 2.64 मिलियन टन की तुलना में 2.95 मिलियन टन (अनंतिम) था। गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में प्रेषण में 0.31 मिलियन टन अर्थात 11.9% वृद्धि हुई।

लघु तथा मध्यम उपभोक्ताओं को कोयले का वितरणः

नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को 10000 मि.ट. प्रति वर्ष तक आवश्यकता वाले उपभोक्ताओं को कोयला वितरण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित एजेंसियों के माध्यम से कोयले का वितरण किया जाना है। राज्यों द्वारा नामित एजेंसियों के माध्यम से वितरण हेतु वार्षिक रूप से कुल 8 मिलियन टन निर्धारित किया गया है जो संबंधित कोयला कंपनियों के साथ एफएसए संपन्न करने के पश्चात कोयला ले सकेंगे।

इन एजेंसियों से वसूला गया मूल्य अधिसूचित मूल्य के समान होगा जैसा कि एफएसए करने वाले अन्य उपभोक्ताओं पर लागू है। एजेंसी अपने उपभोक्ताओं से कोयला कंपनी द्वारा वसूले गए आधार मूल्य के अलावा वास्तविक भाड़ा तथा सेवा शुल्क के रूप में 5% मार्जिन तक वसूल करने की हकदार होगी।

14 राज्यों ने लघु, मध्यम एवं अन्य उपभोक्ताओं को कोयला वितरण के लिए वर्ष 2016–17 (31 दिसम्बर, 2017 तक) के दौरान 18 राज्य एजेंसियों को नामित कर दी है जिनमें से 09 राज्य एजेंसियों ने 2.02 मि.टन के लिए एफएसए पर हस्ताक्षर किये हैं।

कोयले की ई–नीलामी

कोल इंडिया लि.

एनसीडीपी प्रावधान के अनुसार कोयले की बिक्री बाजार निर्धारित मूल्य पर इलैक्ट्रोनिक नीलामी (ई–नीलामी) के जरिए नियमित आधार पर की जा रही है। वर्तमान में सीआईएल निम्नलिखित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ई–नीलामी कर रहा हैः

- स्पॉट ई–नीलामीः इस योजना के अंतर्गत, कोई भी भारतीय खरीदार अपनी स्वयं की खपत या ट्रेडिंग के लिए सरल और पारदर्शी ढंग से उपभोक्ता अनुकूल एकल खिड़की के माध्यम से कोयला खरीद सकते हैं। स्पॉट ई–नीलामी नवंबर 2007 से चल रही है।
- विशेष स्पॉट ई–ऑक्शनः विशेष स्पॉट ई–ऑक्शन की शुरुआत 2015–16 के दौरान की गई थी। ट्रेडर्स सहित कोई भी भारतीय खरीदार विशेष स्पॉट ई–नीलामी के तहत कोयला खरीद सकते हैं, इसमें उठान की लंबी वैधता अवधि है।
- विशेष फारवर्ड ई–नीलामीः विशेष फारवर्ड ई–नीलामी वर्ष 2015–16 में शुरू की गई थी, ताकि विद्युत उत्पादको को उदार उठान अवधि के साथ कोयला उपलब्ध हो सके।
- अनन्य ई–नीलामीः विशेष ई–नीलामी सीपीपी सहित गैर–विद्युत उपभोक्ताओं के लिए वर्ष 2015–16 में शुरू की गई थी इसमें उठान की उदार अवधि है।

2015–16 से 2017–18 (दिसंबर तक) तक विभिन्न ई–नीलामी योजनाओंका निष्पादन निम्नानुसार हैः

2017–18 (अप्रैल–दिसंबर)

नीलाम	स्थान	फॉरवर्ड	विशेष फॉरवर्ड विद्युत	अनन्य गैर–विद्युत	विशेष स्पॉट	कुल
आवंटित कुल मात्रा (मि. टन में)	40.8	बंद	27.4	10.7	0.35	79.4
कुल अधिसूचित मूल्य (करोड़ रुपये में)	5705		3175	1625	50	10555
कुल बुकिंग मूल्य (करोड़ रुपये में)	9453		3974	2078	60	15565
अधिसूचित मूल्य में वृद्धि (% में)	65.7%		25.1%	27.9%	19.5%	47.5%
2016-17						
आवंटित कुल मात्रा (मि. टन में)	53.7	0.29	47	6.3	6.2	113.6
कुल अधिसूचित मूल्य (करोड़ रुपये में)	7421	88	4949	854	895	14207
कुल बुकिंग मूल्य (करोड़ रुपये में)	9288	88	5734	933	1075	17118
अधिसूचित मूल्य में वृद्धि (% में)	25.2%	0.8%	15.9%	9.3%	20.1%	20.5%
2015-16						
आवंटित कुल मात्रा (मि. टन में)	57.4	5.9	13.8	1.5		78ण्6
कुल अधिसूचित मूल्य (करोड़ रुपये में)	7649	705	1091	163		9607
कुल बुकिंग मूल्य (करोड़ रुपये में)	10230	913	1472	214		12829
अधिसूचित मूल्य में वृद्धि (% में)	33.7%	29.4%	35.0%	31.5%		33ण्5:

विद्युत के लिए विशेष नीलामी

विद्युत उत्पादकों के लिए विशेष फारवर्ड ई–नीलामी वर्ष 2015–16 में शुरू की गई थी जिसे उन उपभोक्ताओं को जिन्हें कोयले की आवश्यकता थी, को कोयला उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2017–18 में जारी रखा गया है। अप्रैल–दिसम्बर, 2017 की अवधि के लिए इस स्कीम के अंतर्गत विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा लगभग 27.4 मि.ट. कोयले की बुकिंग की गई है।

विशेष स्पॉट ई–नीलामी

गैर–विद्युत उपभोक्ता (सीपीपी सहित) को कोयला उपलब्ध कराने

के लिए गैर–विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विशेष ई–नीलामी योजना वर्ष 2015–16 में शुरू की गई थी।

गैर विद्युत क्षेत्र के लिए अनन्य नीलामी:

गैर–विद्युत उपभोक्ताओं को कोयला उपलब्ध कराने के लिये वर्ष 2015–16 में अनन्य ई–नीलमी योजना शुरू की गई थी। इस स्कीम को वर्ष 2017–18 में जारी रखा गया है और अप्रैल–दिसम्बर, 2017 की अवधि के दौरान 10.7 मि.ट. कोयले की बुकिंग की गई है।

2017–18 (दिसंबर तक) में विभिन्न ई–नीलामी योजनाओं का प्रदर्शन निम्नानुसार है:

2017-18 (अप्रैल–दिसंबर)			
नीलामी	विद्युत के लिए विशेष फॉरवर्ड	गैर–विद्युत के लिए अनन्य	विशेष स्पॉट
आवंटित कुल मात्रा (मि. टन में)	27.4	10.7	0.35
कुल अधिसूचित मूल्य (करोड़ रुपये में)	3175	1625	50
कुल बुकिंग मूल्य (करोड़ रुपए में)	3974	2078	60
अधिसूचित मूल्य में वृद्धि (% में)	25.1%	27.9%	19.5%

एससीसीएल में कोयले की ई–नीलामी:

एससीसीएल ने कोयले की स्थल ई–नीलामी दिसंबर, 2007 में शुरू की है।

अप्रैल से दिसंबर 17 तक की अवधि के दौरान एससीसीएल द्वारा स्थल ई–नीलामी के जरिए बेचे गए कोयले का ब्यौरा इस प्रकार है:

कंपनी	प्रस्तावित मात्रा (टन)	बेची गई मात्रा (टन)	अधिसूचित मूल्य की तुलना में %वृद्धि
एससीसीएल	4678650	2658399	27%

परिवहन के साधन

सीआईएल में कोयले और कोयला उत्पादों के परिवहन के महत्वपूर्ण साधन रेलवे, सड़क, मैरीगो राउंड पद्धति (एमजीआर), कन्वेयर बैल्ट और मल्टी माडल रेल एवं समुद्री मार्ग हैं। अप्रैल,17–दिसम्बर, 2017 के दौरान कोयला और कोयला उत्पादों की कुल ढुलाई में परिवहन के इन साधनों का अनुमानित योगदान नीचे दर्शाया गया है :

क्र. सं.	परिवहन के साधन	% योगदान
1	रेलवे (रेलवे एवं समुद्री सहित)	55%
2	सड़क	26%
3	एमजीआर	17%
4	बैल्ट कन्वेअर्स/रोपवेज	2%

नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) के अंतर्गत हुई प्रगति:

अक्तूबर, 2007 में नई कोयला वितरण नीति लागू होने से पूर्व उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से दो वर्गों अर्थात् कोर एवं नॉन–कोर क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया था। पूर्व में वर्गीकृत उपभोक्ताओं का आधार एकमात्र आर्थिक विकास में उनकी भूमिका पर आधारित था। तथापि, नई कोयला वितरण नीति के अंतर्गत उपभोक्ताओं के पूर्व वर्गीकरण को हटा दिया गया है।

इस नीति के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र/उपभोक्ता को मेरिट के आधार पर तथा उनके लिए लागू विनियामक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए चुना गया है।

विद्युत सीमेंट एवं स्पांज आयरन क्षेत्र के लिए स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घावधिक) को उनकी कोयले की आवश्यकता के बारे में संस्तुति करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। ऐसी संस्तुति के आधार पर सीआईएल में आश्वासन पत्र संबंधी समिति (सीएलओए) कोयला कंपनी–वार मात्रा का आबंटन करती है। कोयला कंपनियां आश्वासन पत्र जारी करती हैं जिसमें कोयला आपूर्ति हेतु ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) के लिए पात्र होने से पूर्व एलएओ धारक को निर्धारित अवधि के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट लक्ष्य दिए गए होते हैं। सभी वर्तमान वैध उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति को विधिक रूप से ईंधन आपूर्ति करार के अंतर्गत लाया गया है।

एनसीडीपी के कार्यान्वयन में सीआईएल द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

कोल इंडिया लिमिटेड

लिंकेज प्रणाली का स्थान ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) ने ले लिया है। अक्टूबर, 2007 में एनसीडीपी लागू होने के पश्चात मौजूदा उपभोक्ताओं के साथ 2008 में एफएसए संपन्न किए गए। इन एफएसए की अवधि 5 वर्षों के लिए थी। अधिकांश एफएसए समाप्त हो गए।उनमें से कुछ नवीकृत हो गए हैं अथवा नवीनीकरण की प्रक्रिया में हैं। दिस. 2017 तक विद्युत कंपनियों के वर्ग को छोड़कर, कोयला कंपनियों के साथ 677 उपभोक्ताओं के पास एफएसए है ।

एनसीडीपी के अंतर्गत दिसंबर, 2017 (अनंतिम) तक संपन्न एफएसए की क्षेत्रवार स्थिति निम्नानुसार है:–

क्षेत्र	मौजूदा (एनसीडीपी पूर्व)	एलओए के माध्यम से	कुल
सीपीपी	104	39	143
स्पांज आयरन	208	91	299
सीमेंट	40	21	61
कागज	36		36
एल्युमिनियम	2		2
ब्रिकेट	15		15
एसएसएफ	44		44
कोकरीज	107		107
अन्य	121		121
कुल सीआईएल	677	151	828

कैलेंडर वर्ष 2017 में एनसीडीपी के तहत गैर–विद्युत क्षेत्र के लिए कोई नया एफएसए निष्पादित नही किया गया है, तथापि कोल लिंकेज/एलओए की नीलामी से गैर–विनियमित सेक्टर के तहत एफएसए अलग से निष्पादित किए गए है।

विद्युत सेक्टर के लिए, 2009 से पूर्व टीपीपीएस के तहत 121 एफएसए आज की तारीख में मान्य हैं।

दिनांक 17.07.2013 के राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार सीआईएल को 78,535 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए 173 टीपीपी हस्ताक्षरित करने थे, इनमें से 24 मामले टैपरिंग लिंकेजिंग के तहत शामिल थे, जो 30.06.2015 के एमओसीओएम के अनुसार मौजूद हैं। 3 मामलों में एफएसए हस्ताक्षरित नहीं किए जा सके जिसकी जिम्मेवार सीआईएल नहीं है। दो मामलों में, इकाइयों की श्रेणी को सीपीपी से आईपीपी में बदल दिया गया है और एक मामले एससीसीएल को स्थानांतरित कर दिया गया है, इसलिए आज की तारीख में एनसीडीपी विद्युत संयंत्रों के बाद मन्य एफएसए की संख्या 143 जिनकी औसत क्षमता वार्षिक संविदाकृत मात्रा (एसीवी) 227 मि.ट. के लिए 66625 मेगावाट है।

राष्ट्रपति के दिनांक 17.07.2013 के निर्देश के तहत कोई नये एफएसए हस्ताक्षरित नहीं किए गए है।

तथा पीपीए के प्रस्तुति के कारण, एफएसए मात्रा 218.55 मि.ट. की पूर्व मात्रा से बढ़कर 227 मि.टन हो गई है।

लधु, मध्यम और अन्य उपभोक्ताओं (जिनकी आवश्यकता 10,000 टन प्रति वर्ष से कम है) को कोयले की आपूर्ति के लिए सीआईएल द्वारा राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नामांकित एजेंसियों को आवंटन के लिए 8 लाख टन मात्रा निर्धारित की गई है। 31 दिसंबर, 2017 तक 14 राज्यों द्वारा वर्ष 2017–18 के लिए 18 राज्य एजेंसियां नामांकित की गई है, जिसमें से 9 राज्य एजेंसियों ने कुल 2.02 मि.टन मात्रा के लिए एफएसए पर हस्ताक्षर किए हैं

आयात प्रतिस्थापन

कोयला मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अंतर्गत सीआईएल ने आयातित कोयले के स्थान पर घरेलू कोयले का प्रयोग करने की पहल की है। इस उद्देश्य से कोल इंडिया ने विद्युत उत्पादनकर्ताओं के साथ सीधे बातचीत की है ताकि प्रत्येक विद्युत स्टेशन की रूपात्मकताओं के अनुसार उपयुक्त रणनीति बनाई जा सके। सीधी बातचीत से कोल इंडिया का उद्देश्य उपयुक्त रणनीति तैयार करना है।

जैसा कि सीईए द्वारा सूचित किया गया है, सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप घरेलू कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्रों (राज्य/केंद्रीय जेनकोस और आईपीपी) द्वारा आयात वर्ष 2015–16 में 37.2 मि.टन से घटकर वर्ष 2016–17 में 19.9 मि.टन हो गया है। चालू वित्त वर्ष में, नवंबर,17 तक उनके द्वारा पिछले वर्ष की इसी अवधि में 14.53 मि.टन की तुलना में 11.77 मि.टन आयात किया गया है।

एनसीडीपी के लिए नई नीतियां

गैर–नियमित क्षेत्र उपभोक्ताओं के लिए लिंकेज नीलामी

सीआईएल दिनांक 15.02.2016 कोयला मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नीति दिशानिर्देशों के अनुसार गैर–नियमित क्षेत्र के तहत स्पॉन्ज आयरन, सीमेंट, सीपीपी, 'अन्य (ना–कोकिंग)', इस्पात (कोकिंग) और 'अन्य (कोकिंग)' के लिए कोल लिंकेज की नीलामी कर रही है। नीलामी को लिंकेज आवंटन की एक पारदर्शी प्रणाली माना गया है जो प्रतिस्पर्धी बोली पर आधारित है। विभिन्न उपभोक्ता अनुकूल उपाय जैसे कि तृतीय पार्टी नमूनाकरण, निकास विकल्प, कोई निष्पादन प्रोत्साहन नही, निर्दिष्ट खदान/साइडिंग से सुपुदर्गी, फोर्स मैजोर की स्थिति में बैक–अप खान, आदि भी किए गए हैं। एफएसए का कार्यकाल 5 साल है जिसे पारस्परिक समझौते पर और 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। नीलामी के तीन चरण पहले ही समाप्त हो चुके हैं जिसके द्वारा गैर–विद्युत अधिसूचित मूल्य से 9.64% की औसत प्रीमियम पर 45.18 मि.टन वार्षिक कोयला लिंकेज किए गए है। निष्पादन रिपोर्ट नीचे दी गई है :–

	चरण–I (जून 16 से अक्टूबर 16)		चरण–II (जनवरी 17 से जून 17)		चरण–III (सित. 17 से नव.17)		कुल	
उप–क्षेत्र	बुक की गई मात्रा (एमटीपीए)	% लाभ	बुक की गई मात्रा (एमटीपीए)	% लाभ	बुक की गई मात्रा (एमटीपीए)	% लाभ	बुक की गई मात्रा (एमटीपीए)	% लाभ
स्पांज आयरन	2.05	0.51%	4.29	10.10%	2.54	7.20%	8.88	7.55%
सीमेंट	0.68	0.16%	0.77	0.90%	0.12	0.00%	1.57	0.56%
सीपीपी	18.07	8.97%	8.18	14.85%	4.59	22.05%	30.84	12.68%
अन्य	1.34	0.76%	1.27	5.14%	0.67	10.60%	3.28	4.50%
स्टील (कोकिंग)	--	--	0.22	0.00%	0.00	--	0.22	0.00%
अन्य (कोकिंग)	--	--	0.04	0.00%	0.36	2.97%	0.39	2.68%
कुल	22.14	6.95%	14.76	10.60%	8.28	13.37%	45.18	9.64%

* गैर– विद्युत अनुसूचित मूल्य पर % लाभ

शक्ति, 2017 (विद्युत क्षेत्र से लिंकेज)

कोई भी दीर्घकालिक लिंकेज न रखने वाली नई विद्युत परियोजनाओं में स्ट्रेस्ड परिसम्पतियों पर विचार करते समय आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 17.05.2017 को ऐसे विद्युत क्षेत्र के उपभोक्ताओं को भविष्य में एक पारदर्शी तरीके से कोल लिंकेज के आबंटन के लिए एक नई नीति अनुमोदित की है। इस नीति को 'भारत में कोयला (कोयला) को पारदर्शी रूप से उपयोग करने और आवंटन के लिए योजना' के नाम से जाना जाता है (शक्ति)। यह नीति विद्युत क्षेत्र में एक प्रमुख चुनौती अर्थात् कोल लिंकेज का अभाव, को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, और आशा है कि इससे स्ट्रेस्ड परिसम्पतियों के समाधान में सकारात्मक योगदान मिलेगा। कोयला मंत्रालय ने 22.05.2017 के अपने पत्र के माध्यम से नीति दिशानिर्देशों को परिचालित किया। इस नीति की प्रमुख विशेषताएं हैं:

(क) एलओए–एफएसए के पुरानी व्यवस्था के तहत

i. यह सुनिश्चित करने के बाद कि संयंत्रों को 31.03.2022 तक चालू कर दिया जायेगा, लंबित एलओए धारकों के साथ एफएसए पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं,

ii. एलओए के लिए लंबित 583 आवेदनों को बंद किए जा सकते हैं।

iii. सीसीईए के दिनांक 21.06.2013 के निर्णय के अनुसार कुल 68000 मेगावाट क्षमता 31.03.2017 के आगे भी 75% एसीक्यू पर कोयले प्राप्त करना जारी रखेगी।

iv. 68000 मेगावाट में से लगभग 19000 मेगावाट क्षमता जो 31.03.2015 तक शुरू नहीं की जा सकती है, को एसीक्यू के 75% पर एफएसए के तहत कोयला आपूर्ति की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि ये संयंत्र 31.03.2022 के भीतर चालू कर दिए जाएं।

v. विद्युत संयंत्रों को कोयले की वास्तविक आपूर्ति, दीर्घकालिक पीपीए और मध्यम कालिक के पीपीए जो एमओपी द्वारा जारी किए गए बोली दिशानिर्देशों के अनुसार डिस्कॉम्स द्वारा आमंत्रित की गई बोली के विरूद्ध भविष्य में निष्पादित किए जाने है, की सीमा तक की जायेगी।

इनके साथ, एलओए–एफएसए की पुरानी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और प्रभावहीन हो जायेगी।

(ख) विद्युत क्षेत्र के लिए नई अधिक पारदर्शी कोयला आवंटन नीति, 2017– शक्ति (भारत में पारदर्शी रूप से कोयले के सभंरण और आवंटन के लिए योजना) के तहत निम्नलिखित पर विचार किया जाना है

i. सीआईएल/एससीसीएल विद्युत मंत्रालय की सिफारिशों पर अधिसूचित मूल्य पर राज्य/केन्द्रीय जेनकोस/संयुक्त उद्यमों को कोल लिंकेज प्रदान कर सकती है।

ii. घरेलू कोयले पर आधारित पीपीए रखने वाले आईपीपी को लिंकेज किन्तु निम्न को लिंकेज नहीं:

   क. नीलामी के आधार पर होगा जहां बोलीदाता टैरिफ पर छूट को उद्धृत करेगा

   ख. बोली मूल्यांकन मानदंड छूट के गैर शून्य लेविलेज्ड मूल्य होगा

iii. पीपीए के बिना आईपीपी/विद्युत उत्पादकों को लिंकेज, नीलामी के आधार पर होंगे, जहां कार्यप्रणाली गैर–विनियमित सेक्शन के लिए लिंकेज नीलामी के तहत पालन की जा रही कार्यप्रणाली के समान होगी अर्थात बोलीदाताओ द्वारा कोयला कंपनी के अधिसूचित मूल्य से ऊपर प्रीमियम के लिए बोली लगाई जाएगी।

iv. राज्यों को कोयला लिंकेज में उपलब्धता के साथ विवरण की पूर्व जानकारी देकर ताजा पीपीए के लिए कोल लिंकेज भी चिन्हित किए जा सकते हैं। राज्य डीसीसीएम/एसडीए को ये लिंकेज निर्दिष्ट कर सकते हैं।

v. राज्यों के समूह की विद्युत आवश्यकता को एकत्रित किया जा सकता है और इस तरह की एकत्रित विद्युत का प्रापण विद्युत मंत्रालय अथवा या टैरिफ आधारित बोली के आधार पर ऐसे राज्यों द्वारा अधिकृत निर्दिष्ट एजेंसी द्वारा किया जा सकता है।

vi. एमओपी की सिफारिश पर टैरिफ के निर्धारण के लिए दिशा–निर्देशों के तहत टैरिफ आधारित प्रतिस्पधा के माध्यम से केंद्र सरकार की पहल के तहत अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी) की स्थापना के लिए मनोनीत एजेंसी द्वारा शामिल विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को पूर्ण मानक मात्रा के लिए लिंकेज प्रदान किया जाएगा।

vii. एमओपी के परामर्श से कोयला मंत्रालय आयातित कोयले पर आधारित पीपीए ना रखने वाले आईपीपी को कोयला लिंकेज आवंटित करने के लिए एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया की एक विस्तृत प्रणाली तैयार कर सकता है, जिसमें लागत में हुई संपूर्ण बचत का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जायेगा।

कार्यान्वयन की स्थिति

- शक्ति नीति के ए (i) के तहत, 2 एफएसए पर हस्ताक्षर किए गए हैं और बी (1) 1 एफएसए पर 31 दिसंबर, 2017 तक हस्ताक्षर किए गए हैं।
- शक्ति नीति के पैरा बी (ii) के तहत लिंकेज नीलामी सितंबर, 17 में आयोजित की गई जिसमें सफल बोलीदाताओं द्वारा वार्षिक रूप से 27.18 मि.टन कोयला लिंकेज बुक किए गए है। वर्तमान शक्ति नीति के पैरा ख (iii) के तहत लिंकेज नीलामी का कार्यान्वयन में चल रहा है।

कोयला उपभोक्ता परिषद

क्षेत्रीय कोयला उपभोक्ता परिषदों की स्थापना उपभोक्ताओं की शिकायतों की मॉनीटरिंग तथा निवारण करने के लिए प्रत्येक कोयला कंपनी में की गई है। इसके अलावा, सीआईएल (मुख्यालय) में स्थापित राष्ट्रीय कोयला उपभोक्ता परिषद ऐसे मामलों में शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करती है। यदि शिकायतों पर जबाब एक माह के भीतर प्राप्त नहीं होता है अथवा शिकायतकर्ता कोयला कंपनी द्वारा दिए गए जबाब से संतुष्ट नहीं होता है तो उस मामले को राष्ट्रीय कोयला उपभोक्ता परिषद के पास भेजा जाता है। इन परिषदों का पुर्नगठन नए सदस्यों को शामिल करके वर्ष 2010–11 के दौरान किया गया था।

तकनीकी नवाचारों और संचार के नए तरीकों को ध्यान में रखते

हुएए कुछ साल पहले शिकायतों के ई–फाइलिंग की सुविधा के लिए सीआईएल द्वारा ऑन लाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली (ओएलजीएमएस) शुरू की गई थी। इस तरह के उद्देश्य के लिए एक अनुकूलित वेब साइट विकसित की गई थी। इसके बाद, सीआईएल ने केन्द्रीय लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) को अनुकूलित किया जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) द्वारा डिजाइन और विकसित की गई थी। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों में सीपीजीआरएएमएस का पीजी पोर्टल का उपयोग शिकायतों की प्राप्ति और निपटान के लिए एकल खिड़की के रूप में किया जाता है। सीपीजीआरएएमएस को सफलतापूर्वक अनुकूल बनाने के बादए काम के दोहराव से बचने के लिए ओएलजीएमएस को चरणबद्ध किया गया। वेब साइट में पीजी पोर्टल के लिए लिंक में नोडल अधिकारियों की सूची तथा उनके संपर्क विवरण के साथ वेब साइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। शिकायत और इसकी प्रतिक्रिया नियमित रूप से शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) द्वारा मॉनीटर/समीक्षा की जाती है। यह प्रणाली उन नोडल अधिकारियों को अलर्ट करती है जब भी उनके विभाग से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है। शिकायत का निवारण करने के लिए अविलम्ब कार्रवाई की जाती है और उचित प्रतिक्रिया के साथ शिकायतकर्ता को सूचना दी जाती है। जहां भी अंतरिम उत्तर आवश्यक होता है, तो ऐसे उत्तर भी शिकायतकर्ता को भेजे जाते हैं।

कोयला कंपनियों कें संबंध में शिकायतों के मामले में नोडल अधिकारी उन्हें टिप्पणी/कार्रवाई के लिए संबंधित कोयला कंपनियों के पास भेजता है। टिप्पणी/स्थिति प्राप्त होने के बाद शिकायतकर्ता को समुचित सूचना दी जाती है। इस प्रकार मुद्दे का समाधान हो जाता है। यदि शिकायत सीआईएल के किसी अन्य विभाग के कार्यकरण से संबंधित है तो उसे संबंधित विभाग के पास भेजा जाता है। आन–लाईन प्राप्त होने वाली शिकायतों पर इसी प्रकार कार्रवाई की जाती है और उपर्युक्त सिस्टम के तहत उसका शीघ्र एवं प्रभावी रूप से निपटान किया जाता है।